

Dainik Jagran - News - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Refresh Search Favorites Home Links Address http://www.jagran.com/news/citynews.aspx?id=2918843&stateid=18&cityid=44 Go

Google G Bookmarks PageRank Settings

जागरण

search

Home News Shopping Cinemaza 7272 Josh Epaper

मुख्य पृष्ठ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल वाणिज्य सम्पादकीय दृष्टिकोण फीचर राज्यवार खबरें पिछले अंक

जागरण-->समाचार-->राज्यवार खबरें-->उत्तर प्रदेश -->गाजियाबाद

Your City ...

Your State ...

वकील देहज एक्ट में संशोधन के पक्ष में

गाजियाबाद, जागरण संवाद केंद्र : दिल्ली-गाजियाबाद के अधिवक्ताओं की दहेज कानून विषय पर आयोजित संयुक्त संगोष्ठी में अधिकांश वक्ताओं का कहना था कि वह कानून समाज में दहेज रूपी बुराईयों को समाप्त करने के लिए बनाया गया था परंतु इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कई बार नाबालिंग और निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न किया जाता है। इस संबंध में अधिवक्ताओं और कानून तैयार करने वालों को गंभीरता में विचार करना चाहिए। यदि जरूरी हो तो इसमें बदलाव किया जाए।

न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता नरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि कानून ने समाज में दहेज सरीखी बुराई को समाप्त करने के लिए दहेज विरोधी कानून की धारा-407 और 498 के तैयार की थी। अलबत्ता अधिकांश मामलों में इसका दुरुपयोग होने लगा है। परिवार में वैचारिक मतभेद और झगड़ों में भी दहेज उत्पीड़न कानून लगा दिया जाता है। जिससे निर्दोष के फँसने से उनका उत्पीड़न होता है।

उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के.के. शर्मा ने कहा कि पिछले अधिकांश मामलों को देखें तो दहेज कानून में महिला पति समेत सुसराल पक्ष के सभी लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। इसमें कई बार नाबालिंग देवर और ननद को भी फर्जी हँग से फँसा दिया जाता है। जिनका पुलिस विभाग की ओर से भी उत्पीड़न किया जाता है।

संगोष्ठी में वक्ताओं ने मांग की है कि दहेज एक्ट के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए। जिससे निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न न हो सके। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख अधिवक्ताओं में कमलदीप, राजेश भट्ट, आरपी भाटी, इमरान खान, प्रवीण पांडे, राकेश यादव, विकास शर्मा, ज्ञानेंद्र सिंह, सौरभ गर्ग और हर्ष जौहरी आदि थे।

[Sunday, December 03, 2006 10:07:01 PM (IST)]